कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव बाघ के शव को अवैधानिक तरीके से नष्ट कर साक्ष्य मिटाने के अपराधिक कृत्य करने वाले पूर्व शासकीय सेवक, ईनामी व वारंटी, आरोपी हिमांशु घोरमारे जबलपुर से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती (**76/25, दिनांक 21.11.2025)**

वन वृत्त बालाघाट के परिक्षेत्र लालबर्रा दक्षिण बालाघाट के अंतर्गत वन्यप्राणी बाघ के शव को परिक्षेत्र सहायक एवं वनरक्षक के निर्देश पर 06 सुरक्षा श्रमिको के द्वारा जंगल में ही अवैधानिक तरीके से जला दिया गया। जो कि प्रथम दृष्टया वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 39 (1), 39(3) ,39 (5) के तहत जारी "वन्य पशु वस्तु का वन्यजीव निपटान नियम 2023", 48(A) एवं 52के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है| उक्त आपराधिक कृत्य में संलिप्त समस्त 08 आरोपियों (जिसमें से 02 शासकीय सेवक) के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 02.08.25 पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त् प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण का हस्तांतरण दिनांक 05.08.25 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई को किया गया।

दिनाँक 20.11.2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हिमांशु घोरमोरे जबलपुर में घुमता हुआ दिखाई दिया, सूचना के आधार घंटाघर सिविल लाईन के पास से कार्यवाही करते हुये स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर के द्वारा प्रकरण में फरार आठवा आरोपी हिमांशु घोरमारे पिता डुलचंद घोरमारे, अवधपुरी कॉलोनी बालाघाट को गिरफ्तार किया है। उक्त् आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 5000/- पांच हजार रूपये का ईमान घोषित किया गया था। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. शिवकुमार धर्वे पिता सुरपात धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्रा जिला बालाघाट
2. देव सिंह कुम्भरे पिता गनपत सिंह कुम्भरे निवासी बोरीटोला,लालबर्रा जिला बालाघाट
3. शैलेष धुर्वे पिता ज्ञानसिंह धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्रा जिला बालाघाट
4. हरिलाल एड़पाचे पिता सितकुर एड़पाचे निवासी चितालटोला, लालबर्रा जिला बालाघाट
5. अनुज सिरसाम पिता मिठ्ठनसिंह सिरसाम निवासी टेकाडी, लालबर्रा जिला बालाघाट
6. मानसिंह सलामे पिता दीपसिंह सलामे निवासी खैरगोंडी, लालबर्रा जिला बालाघाट
7. टीकाराम हिनोते पिता मुंशी हिनोते निवासी बालाघाट
8. हिमांशु घोरमारे पिता डुलचंद घोरमारे, अवधपुरी कॉलोनी , जिला – बालाघाट

वनमंडलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल द्वारा टिकाराम हनोते, तत्कालीन वनपाल व हिमांशु घोरमारे तत्कालीन वनरक्षक के विरुद्ध म .प्र . सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं म .प्र . सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(viii) एवं 14(4) के तहत कार्यवाही करते हुए सेवा से प्रथक करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा चुकी है।

उक्त आरोपी हिमांशु घोरमारे को माननीय न्यायालय वारासिवनी जिला बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड लिया गया है। प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार सभी 07 आरोपी वारा सिवनी जेल में निरूद्ध है। उक्त प्रकरण में पूर्व में आरोपियों की जमानत याचिका उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के साथ साथ अन्य जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। वर्तमान में प्रकरण में विवेचना जारी है |

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल